सत्यमेव जयते

सप्तदश

बिहार विधान सभा

की

निवेदन समिति

का

10वाँ प्रतिवेदन

सप्तदश बिहार विधान सभा के सत्र में प्राप्त राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित निवेदन संख्या 210/21, 487/21, 504/21 एवं 647/21 पर प्रतिवेदन।

(दिनांक 11 जुलाई, 2023 को सदन में उपस्थापित)

विषय–सूची

	पृष्ठ
1. निवेदन समिति के सदस्यों की सूची	क
2. सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची	ख
3. प्राक्कथन	ग
4. प्रतिवेदन–I	1
परिशिष्ट	2–4
5. प्रतिवेदन–II	5
परिशिष्ट	6–8
6. प्रतिवेदन–III	9
परिशिष्ट	10–12
7. प्रतिवेदन–IV	13
परिशिष्ट	14–16

30 एल0ए0

बिहार विधान सभा सचिवालय

सप्तदश बिहार विधान सभा के वित्तीय कार्य 2023–24 के लिए गठित निवेदन समिति के माननीय सदस्यों की सूची—

सभापति

1. श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन	स०वि०स०

सदस्यगण

1. श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह	स०वि०स०
2. श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता	स०वि०स०
3. श्री राहुल तिवारी	स०वि०स०
4. श्री बच्चा पाण्डेय	स०वि०स०
5. श्री रामविलास कामत	स०वि०स०
6. श्री (ई०) शशि भूषण सिंह	स०वि०स०
7. श्री हरिशंकर यादव	स०वि०स०
8. श्री कुंदन कुमार	स०वि०स०
9. श्री श्रीकान्त यादव	स०वि०स०
10. श्री कुमार शैलेन्द्र	स०वि०स०
11. श्री विजय कुमार	स०वि०स०
12. श्री राजेश कुमार सिंह	स०वि०स०
13. श्री मुकेश कुमार रौशन	स०वि०स०
14. श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता	स०वि०स०

बिहार विधान सभा सचिवालय

सभा सचिवालय के पदाधिकारीगण/कर्मचारीगण

1. श्री पवन कुमार पाण्डेय	प्रभारी सचिव
2. श्री पवन कुमार सिन्हा	प्रभारी निदेशक
3. श्री (मो0) शमीम अहमद	अवर–सचिव
4. श्री छोटे पासवान	प्रभारी अवर–सचिव
5. श्रीमती प्रेरणा कुमारी	सहायक
6. श्री प्रवीण कुमार	सहायक
7. श्री रतन कुमार रतन	कनीय लिपिक

प्राक्कथन

मैं, सभापति, निवेदन समिति, बिहार विधान सभा की हैसियत से सप्तदश बिहार विधान सभा में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित निवेदनों पर निवेदन समिति का 10वाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

निवेदन के संबंध में विचार–विमर्श तथा कार्यान्वयन मुख्य समिति के द्वारा किया गया है।

प्रतिवेदन तैयार करने में पूरी निष्ठा और समर्पण से सहयोग करने के लिए समिति के सभी माननीय सदस्यों, सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूँ ।

(ह0) अस्पष्ट,
सभापति,
निवेदन समिति,
बिहार विधान सभा, पटना।

प्रतिवेदन–I

श्री राजेश कुमार सिंह, स0वि0स0 से प्राप्त निवेदन संख्या–210/21

कटिहार जिला के कटिहार अंचल अंतर्गत ग्राम–दलन, तौजी नम्बर–1745, थाना संख्या–77, खाता संख्या–1706, खेसरा संख्या–1745, कुल रकबा–3 खंड–42 डिसमिल जमीन जो सुचारूबाला देवी, पति–अमूल्य चंद भादुरी के नाम से खतियानी जमीन है, जिसका दखल–कब्जा तल्लु मुर्मू, पिता–निमाई मांझी, टोला हृदयगंज के पास है। अंचलाधिकारी, कटिहार एवं स्थानीय श्री अनिल कुमार चमरिया न मिली–भगत से इस जमीन को अवैध रूप से सीताराम चमरिया कॉलेज, कटिहार को दान कर दिया है।

अतः जमीन को अंचलाधिकारी, कटिहार एवं श्री अनिल कुमार चमरिया के द्वारा अवैध रूप से किये गये दान को रद्द करने एवं दोषी पर कार्रवाई हेतु निवेदन किया गया है। (परिशिष्ट–1)

श्री राजेश कुमार सिंह, स0वि0स0 से प्राप्त उपर्युक्त विषयक निवेदन को सदन की सहमति के उपरान्त प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार, पटना को सभा सचिवालय के पत्रांक 2687, दिनांक 18 जून, 2021 द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया। (परिशिष्ट–2)

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक 949, दिनांक 4 जुलाई, 2022 (परिशिष्ट–3) के द्वारा इस निवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। इस अनुपालन प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत जमीन खतियानी रैयत सुचारूबाला देवी, पति–अमूल्य चंद भादुरी के नाम से मौजा–दलन, थाना संख्या–77, खाता संख्या–1706, खेसरा संख्या–1745, कुल रकबा–3.42 एकड़ जमीन खतियानी में दर्ज है। खतियानी के कैफियत कॉलम में दखल निभाई मांझी, पिता–कन्हाई मांझी दर्ज है। प्रश्नगत जमीन को खतियानी रैयत से केवाला संख्या–13220, दिनांक 28 नवम्बर, 1957 द्वारा शेख समसुदीन, पिता–स्व0 शेख अब्दुल जलील को खतियानी रैयत से केवाला–10068, दिनांक 31 अगस्त, 1987 द्वारा अनिल कुमार चमरिया, पिता–सीताराम चमरिया को बिक्री किया गया। श्री अनिल कुमार चमरिया उक्त प्रश्नगत सम्पूर्ण भूमि दान–पत्र केवाला संख्या–454, दिनांक 9 जनवरी, 1989 से माननीय राज्यपाल, बिहार, पटना के नाम सीताराम चमरिया महाविद्यालय हेतु दान में दी गई है। यह नामांतरण वाद संख्या–724/88–89 के द्वारा स्वीकृति के पश्चात् जमाबंदी संख्या–1868 पर दर्ज है। प्रश्नगत भूमि एवं अन्य भूमि से संबंधित मामले में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 नम्बर–16214/2007 (कमली देवी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में दिनांक 18 सितम्बर, 2012 को पारित आदेश में वादी कमली देवी के दावा (खेसरा संख्या–1744 एवं 1745) को खारिज किया गया है।

अतएव समाहर्ता, कटिहार से प्राप्त प्रतिवेदन (पत्र संख्या 974/रा0, दिनांक 21 मई, 2022) की प्रति संलग्न करते हुए निवेदन संख्या 210/21 को कार्यान्वित मानते हुए इसे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के लम्बित सूची से विलोपित करने का अनुरोध किया गया है।

समिति का निर्णय

दिनांक 17 मई, 2023 को समिति की बैठक हुई। समिति की बैठक में विभागीय पत्र ज्ञापांक 949, दिनांक 4 जुलाई, 2022 के आलोक में निवेदन संख्या 210/21 को कार्यान्वित माना गया।

परिशिष्ट–1

श्री राजेश कुमार सिंह, स0वि0स0 से प्राप्त निवेदन संख्या 210/21

कटिहार जिला के कटिहार अंचल अन्तर्गत ग्राम–दलन, तौजी नम्बर–1745, थाना संख्या–77, खाता संख्या–1706, खेसरा संख्या–1745, कुल रकबा–3, खण्ड–42 डिसमिल जमीन जो सुचारूबाला देवी पति–अमूल्य चंद भादुरी के नाम से खतियानी जमीन है, जिसका दखल–कब्जा तल्लु मुर्मू, पिता–निमाई मांझी, टोला हृदयगंज के पास है। अंचलाधिकारी, कटिहार एवं स्थानीय श्री अनिल कुमार चमरिया ने मिली–भगत से इस जमीन को अवैध रूप से सीताराम चमरिया कॉलेज, कटिहार को दान कर दिया है।

अतः मैं जमीन को अंचलाधिकारी, कटिहार एवं श्री अनिल कुमार चमरिया के द्वारा अवैध रूप से किये गये दान को रद्द करने एवं दोषी पर कार्रवाई हेतु सरकार से निवेदन करता हूँ ।

परिशिष्ट–2

सं0 2 नि0–210/2021–2687/वि0 स0

बिहार विधान सभा सचिवालय

प्रेषक

अरविन्द कुमार मिश्र,
अवर–सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

सेवा में

प्रधान सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना, दिनांक 18 जून, 2021 (ई0)।

विषय––सदन में प्रस्तुत किए गए निवेदन संख्या 210/2021 का उत्तर भेजने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 292 (घ) के अन्तर्गत श्री राजेश कुमार सिंह, स0 वि0 स0 द्वारा प्रस्तुत एवं सभा द्वारा दिनांक 4 मार्च, 2021 को पारित निवेदन को पार पृष्ठ पर अंकित करते हुए आपसे अनुरोध करना है कि पत्र प्राप्ति के 10 दिनों के अन्दर वांछित उत्तर माननीय सदस्य को भेज दिया जाये तथा उसकी एक प्रति सचिव, बिहार विधान सभा को निश्चित रूप से निवेदन समिति के विचारार्थ उपलब्ध कराने की कृपा की जाये ।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाये ।

विश्वासभाजन,
अरविन्द कुमार मिश्र,
अवर–सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

परिशिष्ट–3

संo 7 विoपo निवेदन (कटिहार) 04/2021–949(7)/राo

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक

मनोज कुमार झा,
सरकार के उप–सचिव।

सेवा में

अवर–सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय,
पटना।

पटना–15, दिनांक 4 जुलाई, 2022 (ई0)।

विषय—श्री राजेश कुमार सिंह, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निवेदन संख्या 210/21 के संबंध में ।

प्रसंग—आपका पत्रांक–2 नि0–210/2021–2687, दिनांक 18 जून, 2021

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग में कहना है कि समाहर्ता, कटिहार से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत जमीन खतियानी रैयत सुचारूबाला देवी, पति–अमूल्य चंद भादुरी के नाम से मौजा–दलन, थाना नम्बर–77, खाता नम्बर–1706, खेसरा नम्बर–1745, रकबा–3.42 एकड़ जमीन खतियान में दर्ज है। खतियान के कैफियत कॉलम में दखल निमाई मांझी, पिता–कन्हाई मांझी दर्ज है। प्रश्नगत जमीन को खतियानी रैयत से केवाला संख्या 13220, दिनांक 28 नवम्बर, 1957 द्वारा शेख समसुदीन, पिता–स्व0 शेख अब्दुल जलील को खतियानी रैयत से केवाला संख्या 10068, दिनांक 31 अगस्त, 1987 द्वारा श्री अनिल कुमार चमरिया, पिता–सिताराम चमरिया को बिक्री किया गया। श्री अनिल कुमार चमरिया उक्त प्रश्नगत सम्पूर्ण भूमि दान–पत्र केवाला संख्या 454, दिनांक 9 जनवरी, 1989 से माननीय राज्यपाल, बिहार, पटना के नाम सीताराम चमरिया महाविद्यालय हेतु दान में दी गई है। यह नामान्तरण वाद संख्या 724/88–89 के द्वारा स्वीकृति के पश्चात् जमाबन्दी संख्या 1868 पर दर्ज है। प्रश्नगत भूमि एवं अन्य भूमि से संबंधित मामले में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 नम्बर 16214/2007 (कमली देवी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में दिनांक 18 सितम्बर, 2012 को पारित आदेश में वादी कमली देवी के दावा (खेसरा संख्या 1744 एवं 1745) को खारिज किया गया है।

अतएव समाहर्ता, कटिहार से प्राप्त प्रतिवेदन (पत्र संख्या 974/रा0, दिनांक 21 मई, 2022) की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि निवेदन संख्या 210/21 को कार्यान्वित मानते हुए इसे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के लम्बित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये ।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
मनोज कुमार झा,
सरकार के उप–सचिव।

प्रतिवेदन–II

श्री रामबली सिंह यादव, स0वि0स0 से प्राप्त निवेदन संख्या 487/21

बिहार भर में अमीनों का घोर अभाव के बावजूद जहानाबाद जिला में कार्यरत मात्र छः अमीनों का 59 महीना से मानदेय बकाया है, 2016 के बाद न तो इन्हें हटाया गया और न इनका सेवा विस्तार किया गया। इन्हीं अमीनों से काम भी लिया जा रहा है। इस तरह के बिहार भर में अमीनों को मानदेय भुगतान कर दिया है, लेकिन जहानाबाद में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार एवं आयुक्त मगध प्रमंडल, गया के निर्देश के बावजूद मानदेय नहीं मिला ।

अतः इन अमीनों को मानदेय भुगतान करते हुए सेवा विस्तार करने हेतु निवेदन किया जा सकता है। (परिशिष्ट–4)

श्री रामबली सिंह यादव, स0वि0स0 से प्राप्त उपर्युक्त विषयक निवेदन को सदन की सहमति के उपरान्त प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार, पटना को सभा सचिवालय के पत्रांक 3044, दिनांक 6 जुलाई, 2021 (परिशिष्ट–5) द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया ।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक 256, दिनांक 13 जून, 2022 (परिशिष्ट–6) के द्वारा इस निवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। इस अनुपालन प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि समाहर्ता, जहानाबाद के प्रतिवेदनानुसार संविदा के आधार पर नियोजित कुल छः अमीनों यथा श्री सूर्य प्रकाश, श्री दामोदर प्रसाद, श्री नारायण चौधरी, श्री अनुप कुमार, श्री संजय कुमार एवं श्री राजेश कुमार को कार्यालय आदेश ज्ञापांक 1761, दिनांक 16 दिसम्बर, 2021 द्वारा वर्ष 2017 से फरवरी, 2021 तक का मानदेय भुगतान उनके बैंक खाता में किया जा चुका है।

सेवा विस्तार के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प ज्ञापांक 12534, दिनांक 17 सितम्बर, 2018 के परिशिष्ट–क में दिये गये दिशा–निर्देश के आधार पर नियमानुकूल कार्रवाई करने हेतु विभागीय पत्रांक 1403(4)/रा0, दिनांक 23 नवम्बर, 2018, पत्रांक 327(4)/रा0, दिनांक 24 दिसम्बर, 2020 एवं पत्रांक 32(4)/रा0, दिनांक 8 फरवरी, 2021 सभी समाहर्ता, बिहार को प्रेषित है।

समिति का निर्णय

दिनांक 17 मई, 2023 को समिति की बैठक हुई। समिति की बैठक में विभागीय पत्र पत्रांक 256(4)/रा0, दिनांक 13 जून, 2022 के आलोक में निवेदन संख्या 487/2021 को कार्यान्वित माना गया ।

परिशिष्ट–4

श्री रामबली सिंह यादव, स०वि०स० से प्राप्त निवेदन संख्या 487/21

बिहार भर में अमीनों का घोर अभाव के बावजूद जहानाबाद जिला भर में कार्यरत मात्र छः अमीनों का 59 महीना से मानदेय बकाया है, 2016 के बाद न तो इन्हें हटाया गया और न इनका सेवा विस्तार किया गया। इन्हीं अमीनों से काम भी लिया जा रहा है। इस तरह के बिहार भर में अमीनों को मानदेय भुगतान कर दिया है, लेकिन जहानाबाद में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार एवं आयुक्त मगध प्रमंडल, गया के निर्देश के बावजूद मानदेय नहीं मिला।

सरकार से निवेदन (माँग) है कि इन अमीनों को मानदेय भुगतान करते हुए सेवा विस्तार किया जाये।

परिशिष्ट–5

सं0 2 नि0–487/2021–3044/वि0 स0

बिहार विधान सभा सचिवालय

प्रेषक

अरविन्द कुमार मिश्र,

अवर–सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

सेवा में

प्रधान सचिव,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,

बिहार सरकार, पटना।

पटना, दिनांक 6 जुलाई, 2021 (ई0)।

विषय—सदन में प्रस्तुत किए गए निवेदन संख्या 487/2021 का उत्तर भेजने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 292 (घ) के अन्तर्गत श्री रामबली सिंह यादव (217), स0 वि0 स0 द्वारा प्रस्तुत एवं सभा द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2021 को पारित निवेदन को पार पृष्ठ पर अंकित करते हुए आपसे अनुरोध करना है कि पत्र प्राप्ति के 10 दिनों के अन्दर वांछित उत्तर माननीय सदस्य को भेज दिया जाय तथा उसकी एक प्रति सचिव, बिहार विधान सभा को निश्चित रूप से निवेदन समिति के विचारार्थ उपलब्ध कराने की कृपा की जाये।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाये ।

विश्वासभाजन,
अरविन्द कुमार मिश्र,
अवर–सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

परिशिष्ट–6

निवेदन

श्री रामबली सिंह यादव, स0वि0स0 द्वारा प्रस्तुत निवेदन संख्या 487/2021

बिहार भर में अमीनों का घोर अभाव के बावजूद जहानाबाद जिला भर में कार्यरत मात्र छः अमीनों का 59 महीना से मानदेय बकाया है, 2016 के बाद न तो इन्हें हटाया गया और न इनका सेवा विस्तार किया गया। इन्हीं अमीनों से काम भी लिया जा रहा है। इस तरह के बिहार भर में अमीनों को मानदेय भुगतान कर दिया गया है, लेकिन जहानाबाद में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार एवं आयुक्त मगध प्रमंडल, गया के निर्देश के बावजूद मानदेय नहीं मिला।

सरकार से निवेदन (माँग) है कि इन अमीनों को मानदेय भुगतान करते हुए सेवा विस्तार किया जाय।

सरकारी वक्तव्य

समाहर्ता, जहानाबाद के प्रतिवेदनानुसार संविदा के आधार पर नियोजित कुल छः अमीन यथा श्री सूर्य प्रकाश, श्री दामोदर प्रसाद, श्री नारायण चौधरी, श्री अनुप कुमार, श्री संजय कुमार एवं राजेश कुमार को कार्यालय आदेश ज्ञापांक 1761, दिनांक 16 दिसम्बर, 2021 द्वारा वर्ष 2017 से फरवरी, 2021 तक का मानदेय भुगतान उनके बैंक खाता में किया जा चुका है।

सेवा विस्तार के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक 12534, दिनांक 17 सितम्बर, 2018 के परिशिष्ट 'क' में दिये गये दिशा–निर्देश के आधार पर नियमानुकूल कार्रवाई करने हेतु विभागीय पत्रांक 1403(4)/रा0, दिनांक 23 नवम्बर, 2018, पत्रांक 327 (4)/रा0, दिनांक 24 दिसम्बर, 2020 एवं पत्रांक 32(4)/रा0, दिनांक 8 फरवरी, 2021 सभी समाहर्ता, बिहार को प्रेषित है।

प्रतिवेदन–III

श्री विजय कुमार, स0वि0स0 से प्राप्त निवेदन संख्या 504/21

राज्य में चयनित जिलों में भूमि की सर्वे कार्य में भू–स्वामियों की जमीन सैकड़ों वर्ष पुरानी पुश्तैनी होने, पारिवारिक बंटवारा होने, दस्तावेज चोरी होने अगलगी एवं अन्य कारणों से विशिष्ट हो गये हैं। जमीन का विहित दस्तावेज नहीं होने से जमीन खाने या बेदखल होने का खतरा उत्पन्न हो गया है।

अतएव जनहित में सरकार के पास उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर ही सर्वे करने हेतु निवेदन किया गया है। (परिशिष्ट–7)

श्री विजय कुमार, स0वि0स0 से प्राप्त उपर्युक्त विषयक निवेदन को सदन की सहमति के उपरान्त प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार, पटना को सभा सचिवालय के पत्रांक 3229, दिनांक 9 जुलाई, 2021 (परिशिष्ट–8) द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया ।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक 1177, दिनांक 20 मई, 2022 (परिशिष्ट–9) के द्वारा इस निवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। इस अनुपालन प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011/नियमावली, 2012 अन्तर्गत खानापुरी प्रक्रम में खानापुरी दल द्वारा रैयत के पास आवश्यक कागजात उपलब्ध नहीं होने पर निम्न वैकल्पिक अभिलेखों के आधार पर खानापुरी की कार्रवाई की जाती है :–

(1) ग्राम सभा में पारित वंशावली का खतियानी रैयत से संबंध स्थापित कर,

(2) दखलकार का नाम पंजी–2 में मिलान पश्चात्,

(3) दखलकार का नाम पंजी–IB (चालू खतियान) एवं क्षतिपूर्ति अभिलेख से सत्यापन पश्चात्,

(4) बन्दोबस्तधारी/वासगीत पर्चाधारी का अंचल कार्यालय से प्राप्त अभिलेख से सत्यापन पश्चात् ।

समिति का निर्णय

दिनांक 17 मई, 2023 को समिति की बैठक हुई। समिति की बैठक में विभागीय ज्ञापांक 1177, दिनांक 20 मई, 2022 के आलोक में निवेदन संख्या 504/2021 को कार्यान्वित माना गया ।

परिशिष्ट–7

श्री विजय कुमार, स0वि0स0 से प्राप्त निवेदन संख्या 504/202

राज्य में चयनित जिलों में भूमि की सर्वे कार्य में भू–स्वामियों की जमीन सैकड़ों वर्ष पुरानी पुश्तैनी होने, पारिवारिक बंटवारा होने, दस्तावेज चोरी होने अगलगी एवं अन्य कारणों से विशिष्ट हो गये हैं। जमीन का विहित दस्तावेज नहीं होने से जमीन खाने या बेदखल होने का खतरा उत्पन्न हो गया है।

अतएव जनहित में सरकार के पास उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर ही सर्वे करने हेतु निवेदन करता हूँ ।

परिशिष्ट–8

सं0 2 नि0–504/2021–3229/वि0 स0

बिहार विधान सभा सचिवालय

प्रेषक

अरविन्द कुमार मिश्र,
अवर–सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

सेवा में

प्रधान सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना, दिनांक 9 जुलाई, 2021 (ई0)।

विषय–सदन में प्रस्तुत किए गए निवेदन संख्या 504/2021 का उत्तर भेजने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 292(घ) के अन्तर्गत श्री विजय कुमार (169), स0 वि0 स0 द्वारा प्रस्तुत एवं सभा द्वारा दिनांक 18 मार्च, 2021 को पारित निवेदन को पार पृष्ठ पर अंकित करते हुए आपसे अनुरोध करना है कि पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर वांछित उत्तर माननीय सदस्य को भेज दिया जाये तथा उसकी एक प्रति सचिव, बिहार विधान सभा को निश्चित रूप से निवेदन समिति के विचारार्थ उपलब्ध कराने की कृपा की जाये।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाये ।

विश्वासभाजन,
अरविन्द कुमार मिश्र,
अवर–सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

परिशिष्ट–9

श्री विजय कुमार, स0वि0स0 से प्राप्त निवेदन संख्या 504/2021

राज्य में चयनित जिलों में भूमि की सर्वे कार्य में भू–स्वामियों की जमीन सैकड़ों वर्ष पुरानी पुस्तैनी होने, पारिवारिक बंटवारा होने, दस्तावेज चोरी होने, अगलगी एवं अन्य कारणों से विशिष्ट हो गये हैं। जमीन का विहित दस्तावेज नहीं होने से जमीन खाने या बेदखल होने का खतरा उत्पन्न हो गया है।

अतएव जनहित में सरकार के पास उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर ही सर्वे करने हेतु निवेदन करता हूँ ।

सरकारी वक्तव्य

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011/नियमावली, 2012 अन्तर्गत खानापुरी प्रक्रम में खानापुरी दल द्वारा रैयत के पास आवश्यक कागजात उपलब्ध नहीं होने पर निम्न वैकल्पिक अभिलेखों के आधार पर खानापुरी की कार्रवाई की जाती है :–

(i) ग्राम–सभा में पारित वंशावली का खतियानी रैयत से संबंध स्थापित कर,

(ii) दखलकार का नाम पंजी II से मिलान पश्चात्,

(iii) दखलकार का नाम पंजी IB (चालू खतियान) एवं क्षतिपूर्ति अभिलेख से सत्यापन पश्चात्,

(iv) बन्दोबस्तधारी/वासगीत पर्चाधारी का नाम अंचल कार्यालय से प्राप्त अभिलेख से सत्यापन पश्चात् ।

प्रतिवेदन–IV

श्री विजय कुमार, स०वि०स० से प्राप्त निवेदन संख्या 647/2021

शेखपुरा जिलान्तर्गत अरियरी, घाट कुसुम्भा, शेखपुरा प्रखडों एवं नगर परिषद् में दाखिल–खारिज भूमि विवाद सुलझाने व राजस्व की उगाही में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। उक्त अंचलों में अधिकारी सहित हल्का कर्मचारी के कार्यशैली से आमजनता त्रस्त है। हल्का कर्मचारी भी रिश्वतखोरी में माहिर है, वे नाजायज राशि वसूलने के लिए बिचौलिया रखे हैं।

अतएव जनहित में उक्त प्रखंडों के भ्रष्ट अंचलाधिकारियों एवं हल्का कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने तथा उनके अन्य पदस्थापन हेतु निवेदन किया गया है। (परिशिष्ट–10)

श्री विजय कुमार, स०वि०स० से प्राप्त उपर्युक्त विषयक निवेदन को सदन की सहमति के उपरान्त प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार, पटना को सभा सचिवालय के पत्रांक 3477, दिनांक 14 जुलाई, 2021 (परिशिष्ट–11) द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 1983, दिनांक 15 दिसम्बर, 2022 (परिशिष्ट–12) के द्वारा इस निवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। इस अनुपालन प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि जिला एवं अन्य स्तर पर जनता का दरबार कार्यक्रम में आमजनता की शिकायत एवं परिवाद प्राप्त होने पर त्वरित समाधान किया जाता है। राजस्व कार्यों का सतत् अनुश्रवण का कार्य प्रगति की नियमित समीक्षा की जा रही है। साक्ष्य के साथ परिवाद प्राप्ति के उपरांत सख्त विधिसम्मत कार्रवाई की जाती है।

समिति का निर्णय

दिनांक 17 मई, 2023 को समिति की बैठक हुई। समिति की बैठक में विभागीय ज्ञापांक 1983, दिनांक 15 दिसम्बर, 2022 के आलोक में निवेदन संख्या 647/2021 को कार्यान्वित माना गया ।

परिशिष्ट–10

श्री विजय कुमार, स0वि0स0 से प्राप्त निवेदन संख्या 647/2021

शेखपुरा जिलान्तर्गत अरियरी, घाट कुसुम्भा, शेखपुरा, चेवाड़ा प्रखंडों एवं शेखपुरा नगर परिषद् में दाखिल–खारिज, भूमि विवाद सुलझाने व राजस्व की उगाही में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। उक्त अंचलों में अधिकारी सहित हल्का कर्मचारी के कार्यशैली से आमजनता त्रस्त हो रही है। हल्का कर्मचारी भी रिश्वतखोरी में माहिर हैं, वे नाजायज राशि वसूलने के लिए बिचौलिया रखे हैं।

अतएव जनहित में उक्त प्रखंडों के भ्रष्ट अंचलाधिकारियों एवं हल्का कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए अन्य पदाधिकारी एवं कर्मचारी का पदस्थापन करने हेतु निवेदन करता हूँ।

परिशिष्ट–11

सं0 2 नि0–647/2021–3477/वि0 स0

बिहार विधान सभा सचिवालय

प्रेषक

अरविन्द कुमार मिश्र,

अवर–सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

सेवा में

प्रधान सचिव,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,

बिहार सरकार, पटना।

पटना, दिनांक 14 जुलाई, 2021 (ई0)।

विषय––सदन में प्रस्तुत किए गए निवेदन संख्या 647/2021 का उत्तर भेजने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 292 (घ) के अन्तर्गत श्री विजय कुमार (169), स0 वि0 स0 द्वारा प्रस्तुत एवं सभा द्वारा दिनांक 19 मार्च, 2021 को पारित निवेदन को पार पृष्ठ पर अंकित करते हुए आपसे अनुरोध करना है कि पत्र प्राप्ति के 10 दिनों के अन्दर वांछित उत्तर माननीय सदस्य को भेज दिया जाये तथा उसकी एक प्रति सचिव, बिहार विधान सभा को निश्चित रूप से निवेदन समिति के विचारार्थ उपलब्ध कराने की कृपा की जाये।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाये ।

विश्वासभाजन,
अरविन्द कुमार मिश्र,
अवर–सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

परिशिष्ट–12

सं0 14/वि0स0 निवेदन (शेखपुरा) 04–08/2021–1983–(15)/रा0

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक

सर्व नारायण यादव,
निदेशक,
चकबंदी–सह–संयुक्त सचिव।

सेवा में

अवर–सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय,
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक 15 दिसम्बर, 2022 (ई0)।

विषय––श्री विजय कुमार, माननीय स0वि0स0 (169) द्वारा प्रस्तुत निवेदन संख्या 647/2021 का उत्तर प्रतिवेदन प्रेषण के संबंध में।

प्रसंग––आपका पत्रांक 3477/वि0स0, दिनांक 14 जुलाई, 2021 एवं समाहर्ता, शेखपुरा का पत्रांक 889, दिनांक 7 नवम्बर, 2022 ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि श्री विजय कुमार, माननीय स0वि0स0 (169) के निवेदन संख्या 647/2021 का उत्तर प्रतिवेदन समाहर्ता, शेखपुरा द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया है (छायाप्रति संलग्न)। समाहर्ता, शेखपुरा से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार जिला एवं अन्य स्तर पर जनता का दरबार कार्यक्रम में आमजनता की शिकायत एवं परिवाद प्राप्त होने पर त्वरित समाधान किया जाता है। राजस्व कार्यों का सतत् अनुश्रवण कर कार्य प्रगति की नियमित समीक्षा की जा रही है। साक्ष्य के साथ शिकायत परिवाद प्राप्ति के उपरान्त सख्त विधिसम्मत् कार्रवाई की जाती है।

अतः उपरोक्त के आलोक में अनुरोध है कि निवेदन संख्या 647/2021 को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के लम्बित सूची से हटाने की कृपा की जाये।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
सर्व नारायण यादव,
निदेशक,
चकबंदी–सह–संयुक्त सचिव।

बि0स0मु0, 30(एल0ए0)–2023–24–डी0टी0पी0–300

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2023